

The Supreme Court (Use of Hindi in Proceedings and other Provisions) Bill, 2024-Introduced

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग तथा कतिपय अन्य उपबंधों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग तथा कतिपय अन्य उपबंधों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री गणेश सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री नरेण गणपत म्हस्के - उपस्थित नहीं ।

-